

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

संख्या-05

षष्ठम (मार्च) सत्र

गुरुवार, दिनांक-09 मित्रभर, 2021 ₹०।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 5.55 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चाएँ:-

- I- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीज: माननीय सदस्य काला बंगोला घारण कर अपने-अपने स्थान पर बढ़ते हो गये तथा माननीय सदस्य, सर्वजीविं नारायण, भानू उत्तम शाही, अमर कुमार चाहती, केंद्रीय हथरा एवं डॉ कुमारबाहा रासायनिक मंडल ने आसन का व्याप दिनांक-08.09.2021 को राजभासी रौची में पुलिम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किये गये लालीबाज विवरण प्रकाशित समाचार को और अतिकृष्ट करने लगे तथा उनके द्वारा लाये गये स्थान प्रस्ताव की सूचन को पढ़ने की मीम करते लगे। आसन द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि वह झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के आलोक में ही पदा जायेगा, परन्तु वे अपनी मीमों पर अहं रहे एवं माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार चाहती द्वारा विषमावली पढ़ी जाने लगी तत्पश्चात् वे शनै-शनै: सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे आसन द्वारा गहरी नाराजगी अधिकारीज की गयी।
- II- प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा किये जा रहे व्यवहार के प्रतिरोध में गतापक के माननीय सदस्य, श्री सुरिया कुमार भी सदन की बेल में जा गये, परन्तु आसन द्वारा कहे जाने पर वे गुन: अपने स्थान पर चले गये।

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए नियमित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

- (i) अल्पसूचित प्रश्नों की कूल संख्या-26
- (क) उत्तरित मात्र-01, अ० स०-78, डॉ लम्बोदर महतो, स०विंस०।
- (ख) अनागत कुल-25, अ० स०-79 से अ०स०-103 तक।

इस ब्रम्म में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पूर्ववत् सदन की बेल में नारेबाजी करते थे जिसपर माननीय संसदीय कार्यपाली, श्री आलभगीर जालम ने आपत्ति जताते हुए आसन से अनुरोध किया कि इनके द्वारा आसन के प्रति अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, अतएव इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आसन द्वारा गुन: नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि सदन में विभिन्न दलों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन एक दल विशेष द्वारा इस प्रकार सदन को बाधित किया जाना अनुचित है। अतः अव्यवस्था के बाहील को देखते हुए सदन को कार्रवाई 11.21 बजे पूर्वों से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए रक्षित कर दी गयी जिसके कारण शोध प्रृष्ठ नहीं लिये जा सके।

(स्थगनोपरांत)

कृष्ण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

३. सूचनाओं का दिया जाना:-

- I- माननीय सदस्य, श्री कमलेश कुमार सिंह ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 कि.मी. ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति दी जाती है जिसकी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई जबकि पंचायत चुनाव होनेवाला है जिसपर माननीय ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने अद्यतन स्थिति से आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया।
- II- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने बहुत हुई महेंगाई के इस दौर में विधायक कोटा की राशि ०८ करोड़ रुपये किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया जिसका समर्थन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने भी किया।
- III- माननीय सदस्य, डॉ सरफराज अहमद ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि पिछले कई दिनों से इन्द्रखण्ड विधान सभा में नमाज पढ़ने हेतु कधी का आवंटन सभा सचिवालय के कर्मियों द्वारा दिये गये ज्ञावेदन के जालों में हुआ है जिसपर प्रतिपक्ष को खेतराज है। अतएव इसपर एक समिति बना दी जाय जो एक समय-सीमा के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगो तदनुसार आसन द्वारा निर्णय ले लिया जाय। उन्होंने आसन के भावधार से यह भी संसृचित किया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री नाबूलाल मराण्डी द्वारा पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री इन्दरसिंह नामधारी के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था पुराने विधान सभा में श्री जिसका माननीय, श्री नाबूलाल मराण्डी द्वारा खण्डन किया गया।
- IV- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिकोंद्वारा माननीय सदस्य, डॉ सरफराज अहमद का समर्थन किया गया।

४. शान्त्वकाल की सूचनाएँ:-

आज के लिए निर्धारित शान्त्वकाल की सूचनाओं को पढ़ने हुओं मानते हुए उन्हें सम्बन्धित विधानों में लिखित उत्तर के लिए भेजे जाने का निर्देश आसन द्वारा दिया गया।

५. आसन से नियमन:-

सभा सचिवालय में "नमाज पढ़ने हेतु कमता" के आवंटन पर उठे विवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, डॉ सरफराज अहमद के अनुरोध एवं सदन की भावना को देखते हुए आज की हितीय पाली में एक समिति गठित किये जाने हेतु आसन से नियमन दिया गया।

६. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री दीपक चिकिता द्वारा प्राक्कालन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (2020-21) सभा नियम-216(1) के तहत सदन पटल पर रखा गया।

इस द्वारा में कालिपय माननीय सदस्यों ने सुन: विधायक सद की राशि बढ़ावे जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा संतान में लिया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

कृष्णप्रत्यक्ष

३

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन प्रहण करते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने हारा दिये गये कार्यस्वरूपन प्रस्ताव को सूचना को पढ़े जाने हेतु आसन से अनुरोध करने लगे और सदन की बैठ में आकर नारेबाजी करने लगे,
- ii- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने सारंडा-नोआमुंडो में लोगों को राशन लेने हेतु 25-30 कि.मी. इहाद से भीते उतारकर जाना पड़ता है, अतएव आसन के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया कि इनके लिए **Door steps** राशन की व्यवस्था करायी जाय,
- iii- माननीय सदस्य, श्री लोकिन हेम्ब्रम ने अलग झारखण्ड राज्य के लिए बिन्होने संघर्ष किया है, उन्हे सम्मानित किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया,
- iv- माननीय सदस्य, डॉ लम्बोदर महतो ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि माननीय पूर्व सदस्य, श्री कृशबाहा शिवपूजन मेहता अपनी भौंगी को लेकर बाहर मे धरने पर बैठे हैं, अतएव उन्हे धरन से उठाने की व्यवस्था को जाय, इसपर माननीय सदस्य, श्री चिरंजी नारायण एवं श्री लोकिन हेम्ब्रम को श्री मेहता को धरना स्वतं से उठाने हेतु निरेश दिया गया तत्परतात् माननीय सदस्यहुय सदन से बाहर गये,
- v- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अनुरोधपूर्वक कहा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा काला पट्टा जैसी धारण किया गया है, आसन द्वारा जानकारी ली जानी चाहिए।

७. विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड राज्य सूला विश्वविद्यालय विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्तापित किया गया।

पुरस्तापनोपर्यात् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डाः: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-05, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम भारी-भारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक को स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परतात् “झारखण्ड राज्य सूला विश्वविद्यालय विधेयक-2021” सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा इसे प्रबंध समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, रंचीयती राज विभाग, श्री अलमगीर अलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्तापित किया गया।

पुरस्तापनोपर्यात् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डाः: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-06, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम भारी-भारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परतात् “झारखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021” सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

द्वृष्टि युक्त

ग. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ. रामेश्वर डॉय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्तापित किया गया।

पुरस्तापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डण: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक को स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परतात् “झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021” सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में प्रतिष्ठा के कारिगर वानवीय सदन बदल की बेल में बदले चर बैठ गये।)

घ. झारखण्ड वित्त विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व निवेदन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री हाफिजुल हसन अंसारी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्तापित किया गया।

पुरस्तापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डण: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परतात् “झारखण्ड वित्त विधेयक-2021” सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

8. आमन से घोषणा:-

झारखण्ड विधान सभा में “नगाज के लिए आवंटित कमरा” के कारण उत्पन्न गतिरोध के शम्पन हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाये जाने हेतु आमन से घोषणा की गयी जिसमें-

श्री स्टीफेन भराण्डी,	संविधान	संशोऽक,
श्री प्रदीप यादव,	संविधान	सदस्य,
श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	संविधान	सदस्य,
डॉ. सरफाराज अहमद,	संविधान	सदस्य,
श्री विनोद कुमार सिंह,	संविधान	सदस्य,
डॉ लम्बोदर महतो,	संविधान	सदस्य एवं
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, संविधान		सदस्य होंगे। भविति 45 दिनों के अन्दर जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन देगी जिसपर आमन महमत हो सकेगा।

9. गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

(इस अवसर पर प्रतिष्ठा के वानवीय सदस्य, श्री अमर कूमार बाडी एवं श्री चंद्रशंकर प्रसाद जिन्हें इस विधेयक की माननीय सदस्यों ने सदन का पीरियम किया।)

एवं झारखण्ड विधान सभा के एष्टम (मनिसून) सत्र में निर्माणित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें यहीं गयीं जो सरकारी उत्तर के पश्चात् वापस ली गयीः-

क्रम	माननीय सदस्य का नाम	संविधान विधव	स्थिति

कृष्ण पूर्णाङ्ग

01	श्री अमित कुमार यादव माननीय सदस्य, श्री मनोज जायसवाल(अधिकृत) द्वारा पूछा	हजारीबाग जिला के बरही में अनुमण्डल न्यायिक न्यायालय का गठन,	वापस
02	श्री मधुरा प्रसाद महतो	हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड करना,	वापस
03	श्री सुदिव्य कुमार	जाति प्रमाण-पत्र बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर सेल का गठन करना,	वापस
04	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज जिला में लॉ-कॉलेज की स्थापना,	वापस
05	श्री प्रदीप यादव	जाति आधारित जनगणना करना,	वापस
06	श्री नारायण दास	देवघर, एम्स में अनुसूचित जनजाति वार्ड की स्थापना,	वापस
07	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	मरकार के आश्वासन के अनुरूप कोयल नदी पर पुल का निर्माण करना,	वापस
08	डॉ० स्टीफन भराण्डी	पूर्व से स्वीकृत चावर गिर्ध रेस्टेशन का निर्माण वथाशीघ पूर्ण करना,	वापस
09	सुश्री अम्बा प्रसाद	रामगढ़ जिला अन्तर्गत पठरातु प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाना,	वापस
10	श्री रामचन्द्र सिंह	लातेहार जिला-तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति देना,	वापस
11	श्री मनोज जायसवाल	दाखिल-खारिज एवं लगान रसीद निर्धारित करने में व्यापक वर्तमान त्रुटि का समाधान करना,	वापस
12	डॉ० लम्बोदर महतो	बोकारो जिला में तीन प्रखण्डों का सूचन करना,	वापस
13	श्री समीर कुमार योहन्ती	बाईपास सड़क का निर्माण करना,	वापस
14	श्री भानू प्रताप शर्मा	गढवा जिला-तर्गत बंशीधर नगर अनुमण्डल सरीब सिविल कोर्ट को चालू करना,	वापस
15	श्री भूषण बाड़ा	रेलवे लाइन का विस्तारीकरण,	वापस
16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	भूमि के एवज में भू-स्वामी को सशि का भुगतान करना, अनुपस्थित	वापस
17	श्री उमाशंकर अकेशा	बराकर नदी में चितहरखा घाट पर पुल का निर्माण करना,	वापस
18	श्री राज सिंहा	बनबाद, मिरिढीह और बोकारो जिला को जोड़कर कोयलांचल प्रभागल बनाना,	वापस
19	डॉ० इरफान अंसारी	जामताड़ा जिला में आदिवासी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय खोलना,	वापस
20	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	चतरा को डालटनगंज भासा पांकी होते हुए रेल गवा तक रेल लाईन से जोड़ना,	वापस
21	श्री किशन कुमार दास	चतरा जिला-तर्गत इट्टोरी स्थित माँ भद्रकाली मन्दिर परिसर को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करना,	वापस
22	श्री हुलू महतो	हुई पावर कमेटी का गठन कर विभाषण के सभी मामलों का एक समय-सीमा के अन्दर समाधान करना,	वापस

23	श्री केदार हजरा	गिरिडोह जिला अन्तर्गत जमुआ तथा देवरी प्रखण्ड को काटकर हिरोडीह तथा नवडीहा को प्रखण्ड बनाना,	वापस
24	श्रीमती अपणासेन गुप्ता	धनबाद के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पोद्धारडीह लियत तालाब का गहरीकरण, चीणोंदिंदार, घाट का नियाच तथा सौन्दर्यकरण कराना,	वापस
25	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कुडमी/कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना,	वापस
26	श्री नलिन सोरेन	गाँडवाल का नियाच कराना,	वापस
27	श्री बंधु तिकी	चेक ट्रैक सहित गाँडवाल के अविलम्ब नियाच कराना,	वापस
28	श्री श्रीमती दीपिका शाण्डे य सिंह	संघाल परगना के मान्यता समाप्त किये गये सभी स्कूलों की मान्यता प्रदान कराना,	वापस
29	श्री विरची नारायण	मरोडों और डकिटो-अस्पताल प्रबंधन के हित में एक समुचित पेटिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना	वापस
30	श्रीमती पृथिवा नीरज सिंह	धनबाद जिला के इरिया में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नियाच कराना,	वापस
31.	श्री विनोद कुमार सिंह	गिरिडोह जिला के विनोद प्रखण्ड में भरकट्ठा एवं सरिया प्रखण्ड में चिचाकी को नये प्रखण्ड का दर्जा दिया जाना,	वापस
32	श्री कमलेश कुमार सिंह	पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड में दियाँ कालेज की स्थापना कराना।	वापस

I- इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री मधुरा प्रसाद महतों ने आमन को अनुमति से माननीय सदस्यों को देव अनुमान्य सुविधा के तहत उपस्कर की सुविधा मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष विपक्ष, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतकगण के लिये भी उपस्कर की सुविधा अनुमान्य कराने के लिये एक समिति बनाये जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आमन द्वारा संज्ञान में लेते हुए इसके लिये समिति बनाये जाने हेतु आशङ्कास्त किया गया,

II- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार चाकोरी का बायरल हो रहे आधेपयुक्त Video के सम्बन्ध में आमन का ध्यानाकृष्ट करते हुए उनकी सहनशीलता को सराहनीय है, इसके लिए उन्हें बधाई एवं साधुवाद।

(इस अवसर पर प्रतिष्ठ के माननीय सदस्यों ने सदन में बर्तीन किया)

इसके पश्चात् आमन को अनुमति से माननीय सदन मेता एवं मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन ने विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रतिष्ठ की इस सत्र के दौरान निभावी गयी भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चाये की।

10. समापन भाषण:-

पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र के दौरान हुई कुल-05 बैठकों, राज्यपाल महोदय द्वारा प्रारम्भित अध्यादेश को प्रति एवं गत सत्र में सरकार द्वारा दिये गए आशङ्कास्तों से सम्बन्धित कृत कार्रिएर्स उत्तिवेदन को प्रति सभा पर रखे जाने के अतिरिक्त सत्र के दौरान पूछे गये प्रश्नों, ध्यानाकरणों, निवेदनों, शून्यकाल के

कृपयुक्त

अधिकारित पारित बुल-08 विधेयको तथा उपस्थापित विभिन्न प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में भी विस्तार से सदन को जानकारी दी। इसके उपरात उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया-

“मैं सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कार्मचारियों, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों, प्रेस प्रतिविधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित आरक्षी बल के जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हैं जिन्होंने लगत, निधा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में विभागिका का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल अंतिम सम्प्रभु झारखण्ड के साथ दोनों कारोड़ लोगों के प्रति पूरी सरकारी मणिनी को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे वर्ष में सोचित समय के लिए हम यहाँ बैठते हैं और आपके प्रत्येक एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, परन्तु सदन में अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्तव्य का पालन होना हुआ मुझे नहीं दिखता। माननीय सदस्यगण, पश्च और विपक्ष सदन में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। बाद-विवाद, विरोध-प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परन्तु व्यवधान को उम्मा से बनाहित के मुद्दे दिखाहीन हो जाते हैं।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभायें और पहले एवं विपक्ष दोनों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, आप सभी को पूछँ: मैं धन्यवाद देता हूँ तथा अनेकाले पर्यात्कारों गोपनीय चतुर्थी, करमा तथा शास्त्रीय नवरात्र की अधिम वधाई देता हूँ।”

इसके उपरात सभा की कार्यपाली अनिवार्यत काल तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

दिनांक- 09, भित्तम्बर, 2021।

प्रतिवेदन द्वारा उल्लिखित विधेयकों के बारे में अपनी सम्पूर्ण विवरणों को लेकर उल्लेखनीय विधायिका द्वारा दिए गए विवरणों के सम्बन्ध में अन्तर्भूत विवरणों की अवधारणा की जाएगी। इसके बारे में विवरणों की अवधारणा की जाएगी। इसके बारे में विवरणों की अवधारणा की जाएगी।

विवरणों की अवधारणा की जाएगी।